शोषण के विरुद्ध अधिकार (Rights against Exploitation) अनुच्छेद 23 और 24) -

अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी-न-किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजन, खेतिहर श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अन्तर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित कर दिया गया है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बन्धक मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कुछ कदम उठाए गए। वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है।

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to freedom of Religion) (अनुच्छेद 25-28) -

अन्तःकरण की स्वतन्त्रता - अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतन्त्रता का अंग माना गया है।

धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता - अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है:

Avinash

(क) धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार।
(ख) धर्म सम्बन्धी निजी मामलों का स्वयं प्रबन्ध करने का अधिकार।
(ग) चल और अचल सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
(घ) उक्त सम्पत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार।
वस्तुतः अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25 का एक उपसिद्धान्त मात्र है।

धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट -
अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो।

राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध - भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights) (अनुच्छेद 29 और 30) -
अनुच्छेद 29 के अनुसार, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 30 के अनुसार, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा।

Avinash

Scanned with CamScanner